

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 27/01/2017

क्रमांक एफ 1(ए)35/2016/50-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2013 के तहत संपन्न संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800+3600 ग्रेड पे में निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुये, उनके नाम के सम्मुख कालम-कं. 5 में उल्लिखित स्थान पर पदस्थ करता है :-

सरल कं.	लो. से. आ. द्वारा अनुशंसित घयन सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	प्रवर्ग	विकासखंड का नाम, जहां पदस्थ किया जा रहा है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्रीमती ममता भट्टाचार्य, मकान नं. 202 आशीष कुंज, सैनिक कालोनी, बैरागढ़, भोपाल।	अनारक्षित	विकासखंड, इछावर जिला सिहोर
2.	2	श्री शंखधर त्रिपाठी, 46, संजीवनी नगर, मयूर हॉस्पिटल के पीछे, खजराना, इन्दौर।	अनारक्षित	विकासखंड, हनुमना जिला रीवा
3.	3	कुमारी नीलिमा धाकड़, द्वारा- श्री भरत कुमार पिंजवानी, सिंधी धर्मशाला के सामने, इन्दानगर, 5, सिविल लाईन्स, सागर-470001.	अनारक्षित	विकासखंड, अनरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा
4.	4	कुमारी नेहा जायसवाल, 371, बार्ड नं.15, उज्जैन रोड, ग्राम-बांगर जिला देवास थाना-बी.एन.पी.देवास (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, शुजालपुर जिला राजापुर
5.	5	श्री अखिलेश कुमार पाठक, तलैया फील्ड के सामने, चटर्जी मार्ग, बेनीसागर कॉलोनी, पन्ना (म.प्र.) 488001.	अनारक्षित	विकासखंड, बटियागढ़ जिला दमोह
6.	6	श्री देवेन्द्र जैन, पुलिस थाने के सामने, कपड़े की दुकान, भितरवार जिला ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, अम्बाह जिला मुरैना
7.	7	श्री मनीष कुमार जैन, एफ-4/12, कलेक्ट्रेट कॉलोनी, रायसेन (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, त्योंथर जिला रीवा
8.	8	कु० विशा माधवानी, द्वारा-श्री प्रदीप मिश्रा, बी-176, एम.आई.जी.कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, खाचरोद जिला उज्जैन
9.	9	श्री त्रिलोचन गौड़, गुढावाले, सदर बाजार, कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) 473770	अनारक्षित	विकासखंड, बमोरी जिला गुना
10.	10	कुमारी कृतिका व्यास, 53, डॉ.जोशी मार्ग, जूना ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) 465674	अनारक्षित	विकासखंड, सिरोंज जिला विदिशा
11.	11	श्री गजेन्द्र सिंह यादव, ग्राम-बारहबुजुर्ग पोस्ट-मडिया, तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, राजनगर जिला छतरपुर

12.	12	कु. आशा देवी पटले, पत्नि डॉ. त्रिलोक सिंह पटले, वार्ड नं.11 बंधी कुंआ गली, बूढी, बालाघाट (म.प्र.) 481001	अनारक्षित	विकासखंड, करंजिया जिला डिण्डौरी
13.	13	कु. नम्रता सोधिया, द्वारा श्री आनंद कुमार सोधिया, मकान क्रमांक 4212, लुहार गली, वरियाघाट वार्ड, सागर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़
14.	14	श्री निशांत पाठक, राम-जानकी मंदिर के पास, पुराना बाजार, भितरवार, ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, जैतहरी जिला अनूपपुर
15.	16	सुश्री नीलम सेठिया, 452, महालक्ष्मी नगर, एम.आर.-5, इन्दौर (म.प्र.) 452010	अनारक्षित	विकासखंड, कन्नौद जिला देवास
16.	17	सुश्री पूजा शर्मा, मारुति सुजुकी शोरूम के पास, भोपाल बायपास, ब्यावरा जिला, राजगढ़	अनारक्षित	विकासखंड, लटेरी जिला विदिशा
17.	18	कुमारी ऋचा जैन, द्वारा-श्री राजेन्द्र जैन, 70, न्यू जगदम्बा कालोनी, कृषि उपज मंडी के पीछे, चेरीताल वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) 482003	अनारक्षित	विकासखंड, पाटन जिला जबलपुर
18.	19	श्री प्रतीक सिंह झाला, 282, सन सिटी, एम.आर.-2, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, जावरा जिला रतलाम
19.	20	कु. स्वाति जैन, पुत्री श्री शिखरचन्द्र जैन, 34, महावीर वार्ड क्र.-9, झण्डा चौक बण्डा (बेलई) जिला सागर	अनारक्षित	विकासखंड, पथरिया जिला दमोह
20.	21	श्री उत्तम कुमार द्विवेदी, एफ-14, इंजीनियरिंग कॉलेज कालोनी, सीवा जिला सीवा (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, रामनगर जिला सतना
21.	22	श्री संतोष कुमार अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 12, झण्डा बाजार, पोस्ट चवई, जिला पन्ना (म.प्र.) 488446	अनारक्षित	विकासखंड, रीठी जिला कटनी
22.	23	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, क्वार्टर नं. 41, टाईप-3 सेन्ट्रल एक्साईज स्टॉफ क्वार्टर, सह्याद्रि नगर, सिडको, नासिक, महाराष्ट्र-422009	अनारक्षित	विकासखंड, मोहगांव जिला मण्डला
23.	25	श्री नवाज उद्दीन, 184, आजाद नगर, इन्दौर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, बड़ोद जिला आगर
24.	27	कु. अंशु तिवारी, गोविन्द प्रसाद तिवारी, एच-94, तिवारी निवास, हनुमान कॉलोनी, गुना-473001	अनारक्षित	विकासखंड, बदरवास जिला शिवपुरी
25.	28	श्री रोहित रघुवंशी, 31/203, सीताराम कॉलोनी, कैट रोड, गुना (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, मुंगावली जिला अशोकनगर
26.	29	श्रीमती अदिती सिंह, 203, साया अपार्टमेंट, टैगोर नगर, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) 474011	अनारक्षित	विकासखंड, पहाड़गंज जिला मुरैना
27.	30	कुमारी रचना जैन, द्वारा श्री पदम चन्द्र जैन (प्रेम इलेक्ट्रीकल्स) 69, मयूर मार्केट, थाठीपुर, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, सबलगढ़ जिला मुरैना

28.	31	श्री अभिवन मिश्रा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, पड़ाव रोड, मंडला (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, लांजी जिला बालाघाट
29.	32	कु. दिव्या त्रिपाठी, रामकृष्ण पुरम ग्राम-गोडहर जिला रीवा (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, चित्रकूट जिला सतना
30.	33	श्री सुनील कुमार शर्मा, द्वारा-श्री गोपाल शर्मा, अन्नपूर्णा कॉलोनी, मीनाक्षी हॉस्पिटल के पास, गुना (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, भाण्डेर जिला दतिया
31.	34	डॉ. वंचना सिंह परिहार, पुत्री श्री ए. एस. परिहार एमआईजी-60, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पानी की टंकी के पीछे, भरहुत नगर, सतना (म.प्र.) 485001	अनारक्षित	विकासखंड, सांवेर जिला इंदौर
32.	35	सुश्री दीपका परमार, गृह क्रमांक 4153, कृष्ण बिहार कॉलोनी, गोपालगंज, सागर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, जतारा जिला टीकमगढ़
33.	36	कु. रुषाली पोरस, बी-66, गोविन्दपुरी थाना जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, अटेर जिला भिण्ड
34.	37	श्री प्रदीप नारायण मिश्र, ग्रा.पो. शाहपुर, थाना-पाली तहसील-पाली जिला उमरिया(म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, बुढ़ार जिला शहडोल
35.	38	सुश्री आशा चौहान, ग्राम-मानकुण्ड, तहसील+थाना-हाटपीपल्या, जिला देवास (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, आगर जिला आगरमालवा
36.	39	श्री रविरमन पाराशर, ग्राम व पोस्ट-नोनेरा, तहसील-गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, कोलारस जिला शिवपुरी
37.	40	श्री संदीप कुमार, मकान नं. 3-ए, पुलिस हाउसिंग कालोनी, चिमनगंज मंडी, उज्जैन (म.प्र.) 456001.	अनारक्षित	विकासखंड, गंधवानी जिला धार
38.	41	श्री गौरव जैन, बाबा एस.टी.डी. के पास, कंजौडी मोहल्ला, खेडली (अलवर) राजस्थान 321606.	अनारक्षित	विकासखंड, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
39.	42	श्री प्रमोद गौर, विजय विला बिल्डिंग, एच.डी. एफ.सी. बैंक के पास, दूध तलाई, पंडावा, वार्ड क्र. 29 खण्डवा जिला खण्डवा (म.प्र.) 450001.	अनारक्षित	विकासखंड, पिपरिया जिला होशंगाबाद
40.	43	श्री शिवम पाण्डेय, 477, ग्राम खलवारा, थाना-कैमोर, 477 जिला कटनी (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, रेहली जिला सागर
41.	44	कु. यशस्वी शिन्दे, 6, ज्योति नगर, रमा कॉलोनी के सामने, खंडवा, पूर्व निमाड (म.प्र.) 450001	अनारक्षित	विकासखंड, बड़वाह जिला खरगोन
42.	45	श्री रामावतार उपाध्याय, 23/47/111-बी, किदवई नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद (उ.प्र.) 211006.	अनारक्षित	विकासखंड, पिछोर जिला शिवपुरी
43.	46	श्रीमती ओजस्वी टेंभरे, ब्लॉक कॉलोनी, बिछुआ, छिन्दवाडा (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, बरघाट जिला सिवनी
44.	47	कु. भावना पाटने, प्लॉट नं. 1496/2, बालाजी किराना स्टोर के सामने, राम मंदिर के पीछे पटेल कॉलोनी, राऊ जिला इंदौर (म.प्र.)	अनारक्षित	विकासखंड, केवलारी जिला सिवनी

146.	152	अनुपम दुबे, राम विहार कालोनी, पानी टंकी के पास, राजेन्द्र नगर, गली नं.10, सतना (म.प्र.)	अनारक्षित	जिला सेवा विकासखंड, बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
147.	153	श्री अभिषेक प्रकाश वर्मा, 142, न्यू जगदम्बा कालोनी, कृषि उपज मण्डी के पीछे, काली माता मंदिर के पास, थाना विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002	अनु. जाति	
148.	154	श्री जामसिंह मुवेल ग्राम रालामण्डल पोस्ट लुन्हेरा बुजूर्ग, तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) 454449	अनु. जनजाति	विकासखंड, पानसेमल जिला बड़वानी
149.	155	श्री अतिराज सेंगर, कौचमील, बडागेट, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)-474004.	अनारक्षित	विकासखंड, आरोन जिला गुना

2/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित योग्यता सूची (मेरिट कं.) अनुसार निर्धारित होगी।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, संबंधित जिले के जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में दि. 13.2.2017 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा जो आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल/विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण उपरांत प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होना होगा। परीक्षा में प्रथम बार असफल होने पर अकादमी द्वारा आयोजित आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

5/- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने या विहित प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम निर्धारित समयावधि तथा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों के परिणामस्वरूप विभाग उनकी परिवीक्षावधि में आगे और वृद्धि कर सकेगा या सेवायें समाप्त कर सकेगा।

6/- उपरोक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये जा रहे हैं। यदि कोई अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन में दोषी/अयोग्य पाया जाता है, अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र झूठे अथवा असत्य पाये जाते हैं, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाकर उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी, तथा उनके द्वारा वेतन-भत्तों के रूप में प्राप्त की गई राशि राजस्व बकाया के रूप में उनसे वसूल की जावेगी।

7/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011 एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

8/- सरल कं. 77, 80, 86, 93, 96, 104, 105, 106, 118, 120, 122, 126, 127, 138, एवं 141 उल्लिखित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश उनके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रस्तुत किये शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये जा रहे हैं। यदि उनका जाति प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालय विपरीत अथवा असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके विरुद्ध असत्य जाति प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिये आपराधिक प्रकरण दर्ज

जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा। कं. 73 पर अंकित श्रीमती सुरभि मीना, कं. 89 पर अंकित कु. एकता सोनी, कं. 110 पर अंकित श्री पराग पंथी, कं. 111 पर अंकित सुश्री शुभांगी मालजोनिया, कं. 119 पर अंकित श्री विकास ठाकुर, कं. 128 पर अंकित कु. ऋषिमा नेताम, कं. 130 पर अंकित श्री गणपत सिंह डाबर, कं. 134 पर अंकित श्री हिमांशु भलावी, कं. 136 पर अंकित श्री प्रवीण ओहरिया, कं. 137 पर अंकित कु. प्रिया बुन्देल एवं कं. 145 पर अंकित श्री भगत सिंह चौहान से जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही उनकी उपस्थिति मान्य की जायेगी।

9/- उपरोक्त में से परिवीक्षा पर नियुक्त ऐसे विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी जो दिनांक 1.1.2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में हैं, उनके संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र कं. एफ-9/3/2003/नियम/चार दि. 13.4.2005 एवं परिपत्र कं. एफ 9/3/2006/नियम/चार दिनांक 17.10.2006 के तहत म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 लागू होंगे। दि. 1.1.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

10/- परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा सेवा छोड़ने की स्थिति में नियुक्तकर्ता अधिकारी को एक माह पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें सूचना देने के बदले एक माह या जितने दिन से सूचना काल कम होता है उतनी अवधि के वेतन एवं भत्तों की राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। यह राशि भुगतान न किये जाने की स्थिति में उनसे भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी। इसी प्रकार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना-पत्र अथवा एक माह के वेतन-भत्तों का भुगतान कर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

11/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों में से किसी के द्वारा बिना किसी उचित कारण के दिनांक 13.2.2017 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो उनका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(पंकज शर्मा) 27/1/17
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 27/01/2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 1(ए)35/2016/50-1

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग
- महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर
- महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासकीय अकादमी, भोपाल
- आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, म.प्र. भोपाल। कृपया नवनियुक्त विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारियों को विभागीय कार्यक्रम/योजनाओं की जानकारी के लिये विभागीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय, म.प्र. भोपाल
- सचिव, लो.से.आ. की ओर उनके पत्र कं. 8189/16/2016/चयन दि. 16.8.2016 के संदर्भ में
- संबंधित जिला कलेक्टर (म.प्र.)-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय, म.प्र. भोपाल
- संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, ए.बा.वि.से.-द्वारा-आयुक्त, ए.बा.वि.से संचालनालय म.प्र. भोपाल
- संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, ए.बा.वि.से. द्वारा-आयुक्त, ए.बा.वि.से संचालनालय म.प्र. भोपाल